संख्या- 05 /2022/2555 ई-2/तेरह-2021-1586807

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उपसचिव,
उत्तरप्रदेशशासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 06 जनवरी, 2022

विषय- मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि. (आसवनी) धामपुर, जनपद बिजनौर की स्वीकृत पेय क्षमता 369.6 लाख लीटर से घटाकर अधिष्ठापित क्षमता 875 लाख लीटर के अन्तर्गत 125 लाख लीटर पेय क्षमता तथा शेष 750 लाख लीटर को औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या -जी92/दो-प्रा.डी.-33, दिनांक 23-12-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23-12-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि. (आसवनी) धामपुर, जनपद बिजनौर द्वारा पेय मदिरा की बिक्री स्वीकृत पेय क्षमता के सापेक्ष न कर पाने के कारण मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि. (आसवनी) धामपुर, जनपद बिजनौर की स्वीकृत पेय क्षमता 369.6 लाख लीटर को घटा कर अधिष्ठापित क्षमता 875 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत 125 लाख लीटर वार्षिक पेय क्ष मता किये जाने तथा शेष 750 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित कियेजाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि. (आसवनी) धामपुर, जनपद बिजनौर को 369.6 लाख लीटर वार्षिक तक पेय मदिरा का निर्माण किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या:-30ई-2/तेरह-2007-374/98, दिनांक 10-01-2007 द्वारा में लगाये गये अन्य प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

(2) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवांसंशोधन) नियमावली, 2019 में उल्लिखित नियमों व शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in